

पत्रांक  
05-02  
2021

पत्रांक	आदेश	अभ्युक्ति
<p>05-02 2021</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री छोटा रानु देवगम, पिता/पति- स्व० रतना देवगम, ग्राम- पुराना चाईबासा, थाना- मुफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- लुपंगुटु, थाना नं०- 645, खाता न०- 103, प्लॉट न०-1003, रकवा-0.07<math>\frac{1}{2}</math>एकड़, भूमि क्रेता मोहन सिंह कुंकल, पिता/पति- स्व० नारा कुंकल, ग्राम- नीमडीह, थाना- मुफसिल, के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तुक(ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर हालसर्वे खतियान में दर्ज होकर है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 129,दिनांक 02.02.2021 के द्वारा प्राप्त है। चिकित्सा एवं घर बनाने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता मोहन सिंह कुंकल, पिता/पति- स्व० नारा कुंकल, ग्राम- नीमडीह, थाना- मुफसिल, के पास 1,30,000.00/- (एक लाख तीस हजार रुपये) मात्र। में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी 2.50 एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता श्री छोटा रानु देवगम, पिता/पति- स्व० रतना देवगम, ग्राम- पुराना चाईबासा, थाना- मुफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- लुपंगुटु, थाना नं०- 645, खाता न०-103, प्लॉट न०-1003, रकवा- 0.07<math>\frac{1}{2}</math>एकड़, भूमि को क्रेता श्री मोहन सिंह कुंकल, पिता/पति- स्व० नारा कुंकल, ग्राम- नीमडीह, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तुक(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।</p> <p>लेखापित</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	